



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-2395

दिनांक 26-9-23

## सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारियों द्वारा दस्तावेज/आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है:-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	नाम/पता	समिति का नाम/ निजी खातेदारी/ जविप्रा	योजना का नाम	विवरण
1.	184	श्री सम्पत राय पौददार दत्तक पुत्र बुद्धनारायण पौददार जरिये मु.आम. मनोज कुमार पौददार पुत्र मालीराम पौददार	बाबा. आर.एन.गौड गृ.नि.स.स.लि.	न्यू चन्दलाई नगर	फ्रीहोल्ड लीजडीड हेतु।
2.	ई-209	श्री योगेन्द्र सिंह राजावत पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह राजावत	श्री गणपति गृ. नि.स.स.लि.	गणेश विहार विस्तार	लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टा हेतु
3.	ई-209ए	श्रीमती प्रियंका कुमारी पत्नी श्री राकेश कुमार शर्मा एवं श्री जय शर्मा पुत्र श्री भूषणराम शर्मा	श्री गणपति गृ. नि.स.स.लि.	गणेश विहार विस्तार	लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टा हेतु
4.	4 (साउथ पार्ट)	श्री प्रशान्त कुमार जैन पुत्र स्व. श्री जिनेश कुमार जैन	श्री गणपति गृ. नि.स.स.लि.	गणेश विहार विस्तार	लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टा हेतु
5.	4 (नार्थ पार्ट)	श्री रोहित कुमार जैन एवं श्री विकास जैन पुत्रान श्री धर्मेचंद जैन	श्री गणपति गृ. नि.स.स.लि.	गणेश विहार विस्तार	लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टा हेतु

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपायुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दुरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail:

zone14.jda@rajasthan.gov.in



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी-3056

दिनांक 23/9/2023

## आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड / दुकान	भूखण्ड क्षेत्र (व०ग०)	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना / जवि प्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती रनेहलता जाखड़ पत्नी श्री हरिसिंह जाखड़	श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र स्व० श्री सुआलाल शर्मा	96	233.33	निजी खातेदारी	खुशी एनक्लेव (वास्तु नगर फेज-3)	लीजडीड	अपंजीकृत वसिथतनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र में आवेदक का नाम अंकित नहीं होने से।

उपायुक्त जोन-8  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करवावे। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8  
जविप्रा, जयपुर।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी-3054

दिनांक 23/9/2023

## आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भू.सं.	भू.क्ष. व0ग0	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री परसराम सेन पुत्र स्व0 श्री गोपी राम सैन	श्री पवन कुमार पुत्र श्री विश्वचन्द्र	1	166.66	श्री लक्ष्मी गृ.नि.स.स. लि.	गणेशपुरी	फ्री होल्ड	अपजीकृत इकरारनामा होने से।
2	श्री पवन कुमार गर्ग पुत्र स्व0 श्री मदन लाल गर्ग	श्री सुरज किरण पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण	32-ए	64.77	निजी खातेदारी	मोती नगर	फ्री होल्ड तथा नाम हस्तान्तरण	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रजिस्टर्ड हकत्याग होने से।
3	चिरंजी सैनी, गणेश सैनी, मुकेश सैनी, अशोक सैनी, पांचू सैनी एवं गोविन्द सैनी पुत्र श्री कल्याण सहाय सैनी	श्री गंगाराम पुत्र श्री सेडूराम	6-ए	1144.72 में से 556.50	निजी खातेदारी	सूरज नगर-तृतीय	फ्री होल्ड/ उपविभाजन	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सजरा प्रमाण पत्र होने से।

उपायुक्त जोन-8  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावे। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8  
जविप्रा, जयपुर।



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2023/डी-2191

दिनांक 25.9.23

### आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना /जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री बजरंग लाल शर्मा, श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्रान श्री महेश प्रसाद शर्मा	श्री महेश प्रसाद शर्मा पुत्र श्री बंशीधर शर्मा	11ए उत्तरी हिस्सा	216.26 व.ग.	शंकर भवन निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड	जमुना कॉलोनी	फ्री होल्ड पट्टा	गृ.नि.स.स. द्वारा जारी आवंटन पत्र, विक्रय पत्र इत्यादि
2	श्री सतीश कुमार शर्मा एवं पवन कुमार शर्मा पुत्र श्री महेश प्रसाद शर्मा	श्री महेश प्रसाद शर्मा पुत्र श्री बंशीधर शर्मा	11ए दक्षिणी हिस्सा	201.85 व.ग.	शंकर भवन निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड	जमुना कॉलोनी	फ्री होल्ड पट्टा	गृ.नि.स.स. द्वारा जारी आवंटन पत्र, विक्रय पत्र इत्यादि

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उत्पाद्युक्त जयपुर-2  
ज. वि. प्रा. जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004  
दूरभाष-{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फैक्स +91-141-2574555



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## यू.ओ. नोट

**विषय:**— लोक सूचना का समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम लाखना, तहसील सांगानेर के संलग्न खसरा अनुसार विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कर राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न - 4

२५

उत्सायुक्त 14

जोन-14 पुर्ण विकास प्राधिकरण, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक: एफ/ज.वि.प्रा./जोन-14/2023/डी-2397

दिनांक:- 26-9-23

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102936

दिनांक: 26/09/2023

लोक सूचना


श्री GOVIND KRIPA INFRA VENTURES पुत्र श्री THROUGH PARTNER RAJU CHOPRA जाति PARTNERSHIP FIRM निवासी 36,37,38 MOHIT VIHAR, CHOPRA FARM, MANSAROVAR, JAIPUR ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्य प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	लाखना, सांगानेर (जयपुर)	GOVINDKRIPA INFRA VENTURES	272	400	0.04
कुल					0.04

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 26-09-2023 को जारी की गयी।

  
प्राधिकृत अधिकारी जोन-14  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102937

दिनांक: 26/09/2023

लोक सूचना


श्री **GOVIND KRIPA INFRA VENTURES** पुत्र श्री **THROUGH PARTNER RAJU CHOPRA** जाति **PARTNERSHIP FIRM** निवासी **36,37,38 MOHIT VIHAR, CHOPRA FARM, MANSAROVAR, JAIPUR** ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **वाणिज्य** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	लाखना, सांगानेर (जयपुर)	GOVINDKRIPA INFRA VENTURES	272	450	0.045
<b>कुल</b>					<b>0.045</b>

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **26-09-2023** को जारी की गयी।

  
प्राधिकृत अधिकारी जोन-14  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102939

दिनांक: 26/09/2023

लोक सूचना

श्री GOVIND KRIPA INFRA VENTURES पुत्र श्री THROUGH PARTNER RAJU CHOPRA जाति PARTNERSHIP FIRM निवासी 36,37,38 MOHIT VIHAR, CHOPRA FARM, MANSAROVAR, JAIPUR ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्य प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	लाखना, सांगानेर (जयपुर)	GOVINDKRIPA INFRA VENTURES	396	500	0.05
कुल					0.05

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 26-09-2023 को जारी की गयी।



प्राधिकृत अधिकारी जोन-14  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102940

दिनांक: 26/09/2023

लोक सूचना


श्री GOVIND KRIPA INFRA VENTURES पुत्र श्री THROUGH PARTNER RAJU CHOPRA जाति PARTNERSHIP FIRM निवासी 36,37,38 MOHIT VIHAR, CHOPRA FARM, MANSAROVAR, JAIPUR ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्य प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	लाखना, सांगानेर (जयपुर)	GOVINDKRIPA INFRA VENTURES	396	500	0.05
कुल					0.05

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 26-09-2023 को जारी की गयी।

  
प्राधिकृत अधिकारी जोन-14  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्र/जोन-9/2023/डी- 4007

दिनांक - 25/9/23


## प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन

जयिप्रा क्षेत्र में स्थित निजी खातेदारी की आमासीय योजना गौल्डन पार्क (आतिशय विहार) के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 81 एवं 82 क्षेत्रफल 729.33 वर्ग गज की पती होल्ड लीजडीड क्रमांक 9984 दिनांक 14.09.2023 को श्रीमती ललिता शर्मा पत्नी श्री नैनूराम शर्मा एवं श्री नैनूराम पुत्र श्री प्रमू लाल के नाम से जारी की गयी है। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के धिन्दु संख्या-2 के उपधिन्दु संख्या-10 के प्राग में भू-उपयोग परिवर्तन आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त भूखण्ड के साईट प्लान उत्तर दिशा की ओर 30 फीट सड़क, दक्षिण दिशा की ओर 160 फीट रोड, पूर्व दिशा की ओर भूखण्ड संख्या 80 एवं पश्चिम दिशा की ओर भूखण्ड संख्या 83 स्थित है।


किन्ही दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की कालावधि के भीतर उगरोक्त उपान्तरण के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता अथवा उपायुक्त जोन-9 कार्यालय को प्रस्तुत कर सकते है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 25/9/23 को जारी की गयी।

  
उपायुक्त जोन-9  
उपायुक्त जोन-9  
जयिप्रा, जयपुर

प्रतिलिपी निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक (आयोजना) जयिप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, (मास्टर प्लान) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जयिप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतिमा इस कार्यालय को प्रेषित करें।

  
उपायुक्त जोन-9  
जयिप्रा, जयपुर

रामकिशोर ध्यारा भवन, इन्दिरा साहिब, जयपुर नाल नोहर मार्ग, जयपुर-302004  
दूरभाष- (0145)-2511191 (मुख्यालय) / (0145)-2511192 (उपमुख्यालय) / (0145)-2511193 (उपमुख्यालय) / (0145)-2511194 (उपमुख्यालय) / (0145)-2511195 (उपमुख्यालय) / (0145)-2511196 (उपमुख्यालय) / (0145)-2511197 (उपमुख्यालय) / (0145)-2511198 (उपमुख्यालय) / (0145)-2511199 (उपमुख्यालय)